संख्या- 35/2024/1370/77-6-2024-6099/139/2023

प्रेषक,

ओम प्रकाश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त आयुक्त,
उद्योग,
लखनऊ मण्डल लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 12-08-2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष-2024-25 के बजट में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2017 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 375.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0 3,43,85,898.00 (रू0 तीन करोड़ तैंतालिस लाख पच्चासी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप के पत्रांक-पिकप/आई0आई0ई0पी0पी0-2017/डिस्ब/273, दिनांक 10.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2017 के अन्तर्गत पात्र इकाइयों को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की 10 प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि रू0 375.00 करोड़ के सापेक्ष कुल रू0 3,43,85,898.00 (रू0 तीन करोड़ तैंतालिस लाख पच्चासी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने का अनुरोध किया गया है। पात्र इकाई का उपलब्ध कराया गया विवरण निम्नवत् है:-

धनराशि (रू0 लाख में)

क्रमांक	**कंपनी**	**अवधि**	**शासनादेश दिनांक 26.3.2021 के अनुपालन में रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि**	**नोडल एजेन्सी (पिकप) को देय प्रशासनिक व्यय की प्रतिपूर्ति की राशि (देय धनराशि का 1.5 प्रतिशत)**	**इकाई को वितरित की जाने वाली धनराशि**
1	2	3	4	5	6(4-5)
1-	मेसर्स जे०के० सीमेन्ट लि०	वित्तीय वर्ष 2020-21	2,18,59,215.00	3,27,888.00	2,15,31,327 00
		वित्तीय वर्ष 2021-22 (जून तक)	1,25,26,683.00	1,87,900.00	1,23,38,783.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			3,43,85,898.00	**5,15,788,00**	**3,38,70,110.00**
	कुल धनराशि (5+6)		**रू0 3,43,85,898.00 (रू0 तीन करोड़ तैंतालिस लाख पच्चासी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र)**		

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-007 के लेखाशीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-20-नई औदयोगिक नीति-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 375.00 करोड़ (रूपया तीन सौ पचहत्तर करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू0 3,43,85,898.00 (रूपया तीन करोड़ तैतालिस लाख पच्चसी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराए गए लाभार्थी कम्पनी एवं पिकप के खाते में सीधे एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. तालिका के स्तम्भ-6 में दर्शाई गई धनराशि पिकप द्वारा उपलब्ध कराये गए उक्त लाभार्थी कंपनी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी। उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में दर्शाई गई धनराशि कुल योग रू0 5,15,788.00 (पांच लाख पन्दरह हजार सात सौ अट्ठासी मात्र) पिकप के खातें में प्रशासनिक व्यय के रूप में अन्तरित की जाएगी।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाएगा।
4. उक्त धनराशि का लेखा-जोखा पिकप द्वारा रखा जाएगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व में आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खातें में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
7. स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
8. धनराशि वितरण के उपरान्त वितरण से सम्बन्धित सभी आवश्यक विवरण साक्ष्य सहित संयुक्त/अपर आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ द्वारा पिकप को उपलब्ध कराए जायेंगे।
9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक पिकप, द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के माध्यम से वित्त आय व्ययक अनुभाग-4 एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-6 तथा समस्त संबंधितों को तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा।
10. धनराशि अवमुक्त करने के पूर्व इकाई की पात्रता एवं आकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 3,43,85,898.00 (रूपया तीन करोड़ तैतालिस लाख पच्चसी हजार आठ सौ अट्ठानवे मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या**-007 लेखाशीर्षक 2885608002000 नई औद्योगिक नीति **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294//दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या- 35/2024/1370(1)/77-6-2024-6099/139/2023तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.पी.पी.-2017/डिस्ब/273 दिनांक 10 जून, 2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in